

(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 167

नई दिल्ली,

01.09. 2009

शुद्धिपत्र
(जुलाई, 2009 के 28 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने कांडला पत्तन न्यास के 13 वें से लेकर 16 वें बहुउद्देशीय नौभार लंगरगाह पर अग्रिम प्रशुल्क निर्धारण से संबंधित प्रकरण संख्या टीएएमपी/35/2008-केपीटी पर 14 अक्टूबर 2008 को आदेश पारित किया था। यह आदेश एवं प्रशुल्क से संबंधित अनुसूची 12 नवंबर 2008 को भारत का राजपत्र असाधारण (भाग III खंड-4) में अधिसूचना संख्या 192 में अधिसूचित किया गया था। भण्डारण के दरमान प्रशुल्क अनुसूची खंड-4(ए) और (बी) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

2. पाया गया है कि आयातक/निर्यातक द्वारा देय भंडारण प्रभारों को उस खंड में प्रभार की ईकाई/यूनिट में प्रदर्शित “दर रूपये में, प्रति मी.ट.” शब्दों के बाद “प्रतिदिन” जोड़कर प्रचुरता से स्पष्ट किया जाएगा। अतएव बहुउद्देशीय नौभार लंगरगाह के लिए अपफ्रंट टैरिफ शैड्यूल की प्रचलित धारा 4 (ए) और (बी) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. **भंडारण प्रभार**

निशुल्क अवधि के बाद के नौभार स्टैकयार्ड में भंडारण करने के लिए अनुमत निम्नलिखित भंडारण प्राभार होंगे।

(ए) **आयात हेतु**

दर रूपयों में प्रति मैट्रिक टन प्रति दिन

क्रमांक संख्या	पण्य-द्रव्य/वस्तु	छठे दिन से बारहवे दिन के लिए दर	तेरवे दिन से उन्नीसवे दिन के लिए दर	बीसवे दिन के बाद के दिनों के लिए दर
(ए)	सभी प्रकार के कार्गों के लिए	10	15	20

(बी) **निर्यात हेतु**

दर रूपयों में प्रति मैट्रिक टन प्रति दिन

क्रमांक संख्या	पण्य-द्रव्य/वस्तु	सोलह वे दिन से बाईसवे दिन के लिए दर	तेईसवे दिन से उन्नतीसवे दिन के लिए दर	तीसवे दिन के बाद के दिनों के लिए दर
(ए)	सभी प्रकार के कार्गों के लिए	10	15	20

(ब्रह्म दत्त)

अध्यक्ष